बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

–: संकल्प :–

पटना, दिनांक– 19.01.2015

श्री संतलाल चौधरी, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, बेतिया सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0) डालमियानगर के विरूद्ध घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने जैसे घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में उल्लिखित है, के लिए विभागीय संकल्प संख्या–620 दिनांक 21.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 06.08.2008 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में उक्त विभागीय कार्यवाही को दिनांक 06.02.2009 (आदेश निर्गत की तिथि से छः माह तक) तक के लिए स्थगित किया गया था। स्थगन आदेश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुनः श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–601 दिनांक 17.03.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गरीब साहू, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष अंकित किया गया कि "निष्कर्ष के तौर पर यह आपराधिक प्रकृति का मामला है। अतः इसका निर्णय निगरानी न्यायालय में ही हो सकता है। आपराधिक कृत्य को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।"

उक्त निष्कर्ष पर सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कृत्य के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही भी चलायी जा सकती है क्योंकि दोनों कारवाई में पृथक जिम्मेवारियाँ बनती है । अतएव विभागीय संकल्प संख्या–3192 दिनांक 30.10.2012 द्वारा श्री संतलाल चौधरी के विरूद्ध नए सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। किन्तु श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव का स्थानान्तरण स्वास्थ्य विभाग में हो जाने के फलस्वरूप इस विभागीय कार्यवाही में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय संकल्प संख्या–377 दिनांक 13.02.2013 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक 31.07.2013 को श्री संतलाल चौधरी के सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 "बी" परन्तु "क" के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प संख्या–3940 दिनांक 18.10.2013 द्वारा स्वतः परिवर्तित किया गया। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित तीनों आरोप प्रमाणित पाया गया।

इस संबंध में श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव भी प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध प्रमाणित तीनों आरोपों को अति गंभीर मानते हुए श्री संतलाल चौधरी, सहायक श्रमायुक्त सम्प्रति सेवानिवृत्त का 100 % (शत–प्रतिशत) पेंशन एवं उपदान जब्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 05.08.2014 में मद संख्या–14 के तहत स्वीकृति प्राप्त हुयी थी।

इसी बीच श्री संतलाल चौधरी द्वारा दायर एल0पी0ए0 संख्या–804/2014 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 07.07.14 को पारित आदेश में उक्त वाद को दिनांक 09.07.2014 को सूचीबद्ध करने एवं तब तक कोई दण्डादेश पारित नहीं करने का आदेश था एवं संबंधित मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया। अतः श्री चौधरी के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किए जाने संबंधी संकल्प निर्गत नहीं किया गया और इसकी सूचना विभागीय पत्रांक 2470 दिनांक 22.08.2014 द्वारा मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को प्रेषित की गयी। उक्त एल0पी0ए0 संख्या–804/14 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–22.08.2014 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्न प्रकार है –

."In the result and for reasons discussed above, this appeal partly succeeds. While the order, dated 13-2-2013, passed by Disciplinary Authority directing a fresh enquiry and consequent enquiry report, submitted by the second enquiry officer, are hereby set aside and quashad, the matters is remitted back to Diciplinary Authority with liberty to resume the first enquiry, which had been initiated by the order, dated 21-2-2007, aforementioned by appointing afresh, if necessary, Enquiry officer and Presenting officer and if the enquiry is resumed, the writ petitioner-appellant shall be informed accordingly.

Contd. (P To

We further direct and clarify that if Disciplinary Authority decides to resume the enquiry, appoint Enquiry Authority and/or Presenting Officer, as the case may be, and inform the writ petitioner-appellant accordingly and, thus, having given notice, as regards resumption of the first enquiry, to the writ petitioner-appellant, ensure that unless the writ petitioner-appellant does not co-operate in getting the further enquiry so resumed, expeditiously, the further enquiry is concluded, in accordance with law, within a period of six months from the date of receipt of the notice of the resumption of such further enquiry by the writ petitioner-appellant.

उक्त वर्णित स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता की राय ली गयी । विधि विभाग की राय का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

After giving my anxious consideration to the import of the order under opinion, Rule 17 & 18 of the Bihar Civil Servant (Classification Control & Appeal), Rule, 2005 and also after having gone through the opinion dated 17.09.2014 given by the Special Secretary cum Additional Law Secretary in this regard, I am of considered view that it may not be appropriate and may not serve any useful purpose by going for SLP in this matter, especially when by the order under reference the Disciplinary Authority has been given the liberty for resumption of the first enquiry.

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश तथा विधि विभाग के परामर्शानुसार मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–23.12.2014 में मद संख्या–8 के रूप में दिनांक–5.8.2014 को मंत्रिपरिषदीय स्वीकृत दण्ड को वापस लिया गया एवं माननीय न्यायालय के निदेशानुसार प्रथम जाँच संकल्प संख्या–620 दिनांक–21.02.07 को **resume** करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. अतएव उक्त वर्णित स्थिति में माननीय न्यायालय के निदेश के आलोक में श्री संतलाल चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, श्रम पक्ष को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री संतलाल चौधरी, सेवा निवृत्त सहायक श्रमायुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित ब्यान श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव संचालन पदाधिकारी के समक्ष संकल्प प्राप्ति के एक पक्ष (पन्द्रह दिन) के अन्दर प्रस्तुत करें तथा यह भी अभिकथित करें कि क्या वे चाहते हैं कि स्वयं उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाय।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री संतलाल चौधरी, सेवा निवृत्त सहायक श्रमायुक्त, छवि कमला सदन, आनंदपुरी, पटना–800001 को निबंधित डाक से पुनः आरोप पत्र एवं साक्ष्य सहित प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.1.15

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव।

19/1/15

ज्ञाप संख्या–6/श्रम वि0आ0 5016/06 श्र0सं0 145 पटना, दिनांक 19.01.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्राप्त करायी जाय :–

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना को संकल्प आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक तीन माह के अन्दर पूर्ण कर कार्यवाही अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करने का कष्ट किया जाय। कार्यवाही अभिलेख में एक आदेश फलक (ऑर्डर सीट) जुड़ा रहना चाहिए।

2. श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, श्रम पक्ष सह प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को संकल्प, आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री अरूण कुमार प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगें।

निबंधित 3. श्री संतलाल चौधरी, सेवा निवृत्त सहायक श्रमायुक्त, छवि कमला सदन, आनन्दपुरी पटना को संकल्प, आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्रमायुक्त, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 एवं 06 एवं गोपनीय चारित्री/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा–1, 3, 4, 5/प्रशाखा पदाधिकारी–06 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.15
सरकार के अपर सचिव
19/1/15

ज्ञाप संख्या–6/श्रम वि0आ0 5016/06 श्र0सं0 145 पटना, दिनांक 19.01.2015

प्रतिलिपि :– लोक सूचना पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.15
सरकार के अपर सचिव
19/1/15

ज्ञाप संख्या–6/श्रम वि0आ0 5016/06 श्र0सं0 145 पटना, दिनांक 19.01.2015

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, मान्नीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.15
सरकार के अपर सचिव
19/1/15

ज्ञाप संख्या–6/श्रम वि0आ0 5016/06 श्र0सं0 145 पटना, दिनांक 19.01.2015

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 23.12.2014 के मद संख्या–08 के प्रसंग में सूचनार्थ।

19.1.15
सरकार के अपर सचिव
19/1/15